



2026:AHC:17825

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2610/2026

इरशाद

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता:- राजेश कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए., पुरुषोत्तम पांडेय

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दायर संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है तथा पीड़िता एवं सूचनाकर्ता प्रार्थी के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त तथ्य संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर -2 एवं 3 में उल्लिखित है, जिसे आज अभिलेख पर लिया गया।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि पक्षकारों के बीच विवाद का निस्तारण न्यायालय के बाहर हो चुका है तथा पीड़िता एवं सूचनाकर्ता प्रार्थी के विरुद्ध आगे अभियोजन नहीं चलाना चाहते हैं, अतः प्रार्थी जमानत पाने का अधिकारी है। आरोपों की असत्यता को दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 16.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आज दायर संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र के अनुसार पक्षकारों के बीच समझौता हो चुका है तथा पीड़िता एवं सूचनाकर्ता प्रार्थी के विरुद्ध आगे अभियोजन नहीं चलाना चाहते हैं।

5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अतः, प्रार्थी इरशाद को मुकदमा अपराध संख्या 896/2025, धारा 64(2)(एम), 351(2) बी.एन.एस., थाना बहेड़ी, जनपद बरेली में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
 - iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।
 - v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।